CHETANA
International Journal of Education
Peer Reviewed/Refereed Journal
(ISSN: 2455-8729 (E) / 2231-3613 (P))

Impact Factor
SJIF 2022 = 6.261

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

आलेख

Received on 18.07.2022
Reviewed on 26.07 2022
Accepted on 28.07.2022

विवाहित महिलाओं में तलाक के प्रति विचारधारा

* *डॉ. विजेयता गौड*

मुख्य शब्द:	*तलाक, संस्कार, अधिनियम आदि.*

संक्षेप

विवाह मानव समाज की अत्यनत महत्वपूर्ण प्रथा एवं संस्था है। यह समाज का निर्माण करने वाली सबसे छोटी इकाई परिवार का मूल है। जिसमें पति–पत्नी के स्थायी संबंध का निर्माण होता है। विवाह–विच्छेद या तलाक का विवाह के पश्चात जीवन साथी को छोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अध्येत्री ने वर्तमान परिवेश में विवाहित महिलाओं के तलाक के प्रति विचार जानने का प्रयास किया है।

अध्ययन में 50 विवाहित महिलाओं के प्रतिदर्श का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया है। सूचनादात्रियों की विचारधारा का अध्ययन करने के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया है तथा प्रश्नावली द्वारा प्राप्त सूचनादात्री अभिमतों का सांख्यिकीय विधियों द्वारा विश्लेषण कर निष्कर्ष प्राप्त किये हैं। निष्कर्ष स्वरूप महिलाओं में अपने अधिकारों के लिए तलाक के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ है।

प्रस्तावना

विवाह के द्वारा पति और पत्नी के मध्य स्थायी संबंध का निर्माण होता है। इस संबंध से पति–पत्नी को अनेक प्रकार के अधिकार और कर्त्तव्य प्राप्त होते हैं। परन्तु दोनों के बीच किसी कारणवश कुछ ऐसे परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि पति और पत्नी अपने लिए अलग–अलग रास्ता चुनना सही समझते हैं। ऐसी स्थिति में कानूनी रूप से इस रिश्ते को समाप्त करना ही 'तलाक' कहलाता है। पति और पत्नी के आपसी रिश्ते को सामाजिक और कानूनी दोनों ही तरीके से समाप्त करने के लिए तलाक के लिए न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है। हिन्दू धर्म में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है और पति–पत्नी के बीच किसी भी तरह अलग होने का कोई प्रावधान नहीं है। परन्तु संविधान के अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा नहीं रह गया है। वहीं इस्लाम में जहाँ तक संभव हो तलाक नहीं दिया जाए और यदि तलाक देना जरूरी और अनिवार्य हो जाए तो कम से कम न्यायिक प्रक्रिया हो। वर्तमान समय में विवाह सभी धर्मों में संविधान के अधिनियम के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर वैवाहिक सम्बन्ध को विघटित किया जा सकता है। आँकड़े दर्शाते हैं कि भारत में करीब 14 लाख तलाकशुदा हैं। यह कुल

आबादी का करीब 0.11 फीसदी है और शादीशुदा (भारत के) आबादी का करीब 0.24 फीसदी हिस्सा है। ज्यादा हैरत की बात यह है कि अलग हो चुके लोगों की संख्या तलाकशुदा से तीन गुना ज्यादा है। अतः आँकड़ों से पता चलता है कि तलाक के प्रति भारत में लोगों की विचारधारा अब बहुत नकारात्मक नहीं है।

उद्देश्य– विवाहित महिलाओं की तलाक के प्रति विचारधारा का अध्ययन करना।

उपकल्पना– विवाहित महिलाओं में तलाक के प्रति विचारों में परिवर्तन आया है।

प्रतिदर्श– उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोटा शहर के 50 विवाहित महिलाओं का अभिमत लिया गया जिनकी आयु 25 से 40 वर्ष तक हो। उनका यादृच्छिक विधि द्वारा चयन किया गया ।

शोध क्रियाविधि– शोध अध्ययन 50 के प्रतिदर्श द्वारा निष्पादित किया गया है। इस अध्ययन में स्वनिर्मित प्रश्नावली का निर्माण किया गया है। जिसमें तलाक के पश्चात् समाज में प्रतिष्ठा, पुनर्विवाह, समायोजन, आत्मसम्मान के साथ तलाक पर भारतीय संस्कृति और नारी शिक्षा के प्रयास से सम्बन्धित प्रश्न हैं। प्रश्नावली में 38 प्रश्न हैं। जिसके दो विकल्प हैं।

इन विकल्पों में किसी एक पर सही का निशान अंकित करना है। प्रश्नावली में समुचित निर्देश दिए गए हैं। इस अध्ययन में प्रयोग से पहले सूचनादाता को इस बात से अवगत करा दिया गया था कि उनका नाम, पद और सूचनाओं को गोपनीय रखा जायेगा। सभी सूचनादाताओं ने

सामग्री विश्लेषण एवं अर्थनिर्वचन – कोटा नगर की सीमान्तर्गत विवाहित महिलाओं से प्रश्नावली भरकर ली है। इन महिलाओं की प्रतिक्रियाओं का प्रतिशतता में रूपान्तरण किया गया है। प्रतिशत विधि का प्रयोग करके आँकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

विश्लेषण और व्याख्या– प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण करने पर तलाक के लिए सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार के विचार प्राप्त हुए है। 70% विवाहित महिलाओं ने माना कि वैवाहिक जीवन से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय नहीं है। उन्होंने माना कि यह एक स्थायी बन्धन है तथा इसमें उत्पन्न वाली समस्याएँ उत्पीड़न, अमानवीय व्यवहार, द्वन्द्व, यातनाओं को क्रमशः 66%, 58%, 64% व 57% महिलाओं ने माना कि तलाक द्वारा इन समस्याओं का पूर्ण हल नहीं है।

वहीं दूसरी तरफ 70% व 42% महिलाओं के अनुसार तलाक का भारतीय सभ्यता और संस्कृति की समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसके 64% महिलाओं ने स्त्री शिक्षा व 60% महिलाओं ने मानवाधिकारों को माना कि स्त्रीशिक्षा व मानवाधिकारों का तलाक से कोई सकारात्मक सम्बन्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त सामाजिक प्रतिष्ठा, बच्चों की शादी, स्वयं के पुनर्विवाह व स्वयं की प्रतिष्ठा पर क्रमशः 58%, 66%, 66% व 60% महिलाओं ने माना कि तलाक के बाद इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यक्तिगत जीवन के सन्दर्भ में 64% महिलाओं ने माना कि तलाक का निर्णय लेने वाले नासमझ नहीं होते हैं और तलाक के बाद ना तो वे कुंठित व निराश होते हैं। 72% और 66% महिलाओं ने माना कि तलाक से आत्म सम्मान में कमी नहीं आती है पूर्ण अध्ययन में 39.47% महिलाओं में तलाक के प्रति नकारात्मक विचारधारा और 60.5% विवाहित महिलाओं से तलाक के प्रति सकारात्मक विचार प्राप्त हुए हैं।

निष्कर्ष– उपर्युक्त शोध सार से यह ज्ञात होता है कि महिलाओं में तलाक के प्रति सकारात्मक विचारधारा विकसित हो रही है और उनके अनुसार विवाह एक स्थायी बन्ध नहीं है। तलाक इसे समाप्त करने की प्रक्रिया है तलाक के बाद भी एक सामान्य जीवन व्यतीत किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रथ सूची

1. के.एम. कपाडिया – भारत में विवाह एवं परिवार
2. डॉ. आर.एन. सक्सेना – भारतीय समाज एवं सामाजिक संस्थाएँ
3. कैलाश मीणा – विवाह विच्छेद का अर्थ, कारण, प्रभाव, (2020) समाजशास्त्र (https://www.kailasheducation.com/2020/11/vivah/20vichchhd.html)
4. विभाबाला – दाम्पत्य जीवन में विवाह विच्छेद–एक अभिशाप (2017) (www.allresearchjournal.com)
5. डॉ. महेश शुक्ला – विश्वविद्यालय छात्राओं में परिवार एवं विवाह के प्रति बदलता दृष्टिकोण (msociology@rediffmail.com)

Corresponding Author
* डॉ. विजेयता गौड़
(प्राचार्य)
`.B.N. College of Education
Email-gaurvijaita12@gmail.com, Mob.-0000000000